

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVT. OF INDIA

SHIV SHAKTI SEWA SAMITI



30/07/2014

Permanent Account Number

AALAS3283P

20082014

इस कार्ड के खोने / पाने पर कृपया सूचित करें / लौटाएं :
आयकर पैन सेवा इकाई, एन एस डी एल
5 वीं मंजिल, मंत्री स्टर्लिंग, प्लॉट नं. 341, सर्वे नं. 997/8,
मॉडल कालोनी, दीप बंगला चौक के पास,
पुणे - 411 016.

*If this card is lost / someone's lost card is found,
please inform / return to :*

Income Tax PAN Services Unit, NSDL
5th floor, Mantri Sterling,
Plot No. 341, Survey No. 997/8,
Model Colony, Near Deep Bungalow Chowk,
Pune - 411 016.

Tel: 91-20-2721 8080, Fax: 91-20-2721 8081
e-mail: tininfo@nsdl.co.in

संख्या

750

पत्रावली सं०- GHD1734

दिनांक

31/7/2014



उत्तराखण्ड शासन

सोसाइटी-रजिस्ट्रीकरण का


प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21,1860 के अधीन)

संख्या 098/2014 - 2015

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि शिव शक्ति सेवा समिति, :- निकट वाटर टैंक पाण्डेवाला, म्घाल रोड, ज्वालापुर, हरिद्वार को आज उत्तरांचल में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 ई० के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है। यह प्रमाण-पत्र 29/7/2019 तक विधिमान्य होगा।

आज दिनांक 30/7/2014 को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।


सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
फर्म, सोसाइटी एवं चिट्ठे,
उत्तराखण्ड
हरिद्वार
30/7/14

भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

22AA 986195



यह जनरल स्टाम्प फेयर संख्या 22AA 986195
21/8/14 एन. एन. ए.
के. ए. ए. ए. जिसकी पत्रावली सं. R.N. 1234
को प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ संलग्न है।

12/8/14
उपनिबंधक
फर्म, सोसाइटी एवं चिट्ठे
हरिद्वार
25/8/14


भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

22AA 986196



यह जनरल स्टाम्प पेपर संख्या... 22AA 986196
... 19/08/14 ...
... जिवाही पत्रावली सं० ... 1734
के ... की प्रमाणित प्रतिविलिपि के साथ संलग्न है।

उपनिबन्धक
सोसाइटी एवं चिट्ठे
हरिद्वार
25/8/14

स्मृति - पत्र

1. संस्था का नाम - शिव शक्ति सेवा समिति
2. संस्था का पूरा पता - निकट वाटर टैंक पाँडेवालान ,गुग्गल रोड ज्वालापुर हरिद्वार 249407
3. संस्था का कार्यक्षेत्र -क्षेत्रीय /समस्त उत्तराखण्ड/भारत
4. संस्था का उद्देश्य -

1. गरीबों के हित में समस्त कार्य करना।
2. हर प्रकार की सामाजिक सेवा करना।
3. हर प्रकार की मदद की कार्यवाही करना।
4. पुराने खण्डित बुतों व मन्दिरों का उद्धार व रख रखाव करना।
5. स्वास्थ्य व पर्यावरण सम्बन्धी जन जागरण करना।
6. हर प्रकार के चिकित्सा कैंप लगाना जनहित में, व अस्पताल चलाना जहाँ समस्त आपरेशन व उपचार की सुविधायें प्राप्त हों।
7. विकलांगों को डाक्टरी सहायता दिलाना व उनमें नवजीवन का संचार करना व ट्राईसाइकिल आदि बाँटना।
8. विकलांगों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराना।
9. संस्था द्वारा एम्बुलेंस खरीदकर बिना लाभ-हानि सेवा देना।
10. पूर्ण सुसज्जित सचल अस्पतालों की स्थापना व गरीबों का मुफ्त इलाज करना।
11. जडी-बूटी उत्पादन कर दवाओं का निर्माण करना व उनका विक्रय करना।
12. सरकार से इजाजत लेकर मेडिकल कालेज (आयुर्वेद एलोपैथ ,होम्योपैथ) की स्थापना करना
13. हर स्तर पर शिक्षण संस्थाएँ चलाकर प्रवेश देना व दिलाना शिक्षा देना व दिलाना **सत्य प्रतिनिधि**
14. कूड़ा बिनने वाले व स्कूल ना जाने वाले बच्चों को शिक्षा देना व दिलाना।
15. कम्प्यूटर शिक्षा देना व कम्प्यूटर में हर प्रकार के कोर्स नियमानुसार करना।
16. हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर पर नई-नई खोजों से बच्चों को अवगत कराना।
17. कुटीर उद्योग स्थापित कर उसके उत्पादन उसके उत्पादन विक्रय कर युवा वर्ग को लाभ पहुंचाना।
18. युवा वर्ग को रोजगारपरक शिक्षा देना।
19. महिलाओं/युवतियों को समस्त दस्तकारी की शिक्षा देकर स्वावलम्बी बनाना।
20. तकनीकी व गैर तकनीकी विद्यालय चलाकर शिक्षा देना।
21. सभी के लाभ के लिये पुस्तकालय, वाचनालय बनाना।
22. आर0टी0आई, आर0टी0ई0, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जनता को जानकारी देना।

सभी पदाधिकारियों/सदस्यों के हस्ताक्षर)

पृष्ठ सं0 03/09

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



उपनिबन्धक
फर्म, सोसाइटी एवं चिट्ठे
हरिद्वार

23. एड्स, कैंसर, टी0बी0 जैसी घातक बीमारियों के प्रति समाज को जागरूक करना
24. पानी का महत्व बताना तथा बारिश के पानी को इकट्ठा करने की विधियां बताना व शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना ।
25. कन्या भ्रूण के प्रति लोगों को सचेत करना।
26. शहरो ,गाँवो की सफाई के प्रति जनता को जागरूक करना ।
27. बाल -मजदूरी रोकने का प्रयास करना व महिलाओ व लडके -लडकियो को हर प्रकार के शोषण से बचाना ।
28. किसानो को मृदा व उत्तम बीज सम्बन्धी जानकारी देना ।
29. स्थान -स्थान पर कानूनी कैंप लगाकर नये कानूनो की जानकारी देना ।
30. वृद्धो व बेसहारा महिलाओ व बच्चो के लिये आश्रमो की व्यवस्था करना।

संस्था के उपरोक्त सभा उद्देश्य सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 1 व 20 के अनुसार पूर्ण रूप से चैरिटेबल एवं अव्यवसायिक होंगे।

संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पते, पद, तथा व्यवसाय जिनको संस्था के इस स्मृति-पत्र तथा नियमावली के अनुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया है

क्र. सं.	नाम	पिता /पति का नाम	पता	व्यवसाय	पद-	हस्ताक्षर
1.	मुकुमराणा	श्री तेजपाल सिंह	ए0 97 शिवालिक नगर हरिद्वार	नौकरी	अध्यक्ष	
2.	देवेन्द्र शर्मा	श्री रामकुमार शर्मा	पाण्डेवालान गुग्गल रोड हरिद्वार	नौकरी	उपाध्यक्ष	
3.	हितेश	श्री रनपत सिंह	आर0 155 शिवालिक नगर हरिद्वार	नौकरी	सचिव	
4.	विकाश सिंह धीमान	श्री आत्माराम धीमान	जगदीपपुर कनखल हरिद्वार	नौकरी	कोषाध्यक्ष	
5.	अजय शर्मा	के0एस0 निर्भय	1/69 ए अरावली अपार्टमेंट सेक्टर 52नोएडा	नौकरी	सदस्य	
6.	संजय सिंह	श्री शंकर सिंह	क्वार्टर न0 197 शिवालिक नगर हरिद्वार	नौकरी	सदस्य	
7.	अभिषेक सैनी	श्री नरेन्द्र कुमार	1044 शिवशक्ति विहार निकट सतीकुंज कनखल हरिद्वार	नौकरी	सदस्य	

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृति- पत्र तथा संलग्न नियमावली के अनुसार

सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है **सत्य प्रतिलिपि**

सत्य प्रतिलिपि

उपनिबन्धक

दिनांक -25.07.2014

(सभी पदाधिकारियों/सदस्यों के हस्ताक्षर, नाम सहित)

नोट: प्रबन्धकारिणी में कम से कम 04 पदाधिकारियों/सदस्यों का होना आवश्यक है

25/7/14
पृष्ठ सं0 04/09

नियमावली

1. संस्था का नाम - शिव शक्ति सेवा समिति
2. संस्था का पूरा पता - निकट वाटर टैंक पाडेवालान ,गुग्गल रोड ज्वालापुर हरिद्वार 249407 संस्था का कार्यक्षेत्र - क्षेत्रीय/समस्त उत्तराखण्ड/भारत
3. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग:-

(क)आजीवन सदस्य - भारत का व्यस्क नागरिक लिखित आवेदन कर कार्यकारिणी के सर्व सम्मति से इस वर्ग का सदस्य बन सकता है। इस 5100/—रु0 अग्रिम एकमुश्त देय होगा।

आजीवन सदस्य कहलायेगा।

(ख)विशिष्ट सदस्य -

विशिष्ट सदस्य कहलायेगा।

(ग)सामान्य सदस्य -भारत का वयस्क नागरिक लिखित आवेदन कर इस वर्ग का सदस्य कार्यकारिणी की सर्व सम्मति से बन सकता है मासिक शुल्क 50 रु0 अथवा 600 रु0 सालाना होगा।

सामान्य सदस्य कहलायेगा।

4. सदस्यता की समाप्ति:- निम्नलिखित दशाओं में सदस्यता समाप्त की जा सकती हैं

- (क) मृत्यु हो जाने पर।
- (ख) पागलपन हो जाने पर।
- (ग) न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
- (घ) दिवालिया होने पर।
- (ङ) सदस्यता शुल्क न देने पर।
- (च) संस्था विरोधी कार्य करने पर।



सत्य प्रतिलिपि

5. संस्था के अंग :- (क) साधारण सभा (ख) प्रबन्धकारिणी सभा

(क) साधारण सभा :-

(अ) गठन :- सामान्य बैठक वर्ष मेंदो.....बार तथा विशेष बैठक आवश्यकता पड़ने पर कई.....बार/कभी भी बुलाई जा सकती है।

(स) सूचना अवधि :- सामान्य बैठक हेतुपाँच.....दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा तथा विशेष बैठक हेतु दोदिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।

(द) विशेष/वार्षिक अधिवेशन की तिथि :-विशेष/वार्षिक अधिवेशन की तिथि साधारण सभा की बैठक मेंउपस्थिति के.....बहुमत से तय की जायेगी।

(ग) साधारण सभा के कर्तव्य एवं अधिकार :- साधारण सभा द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव किया जायेगा। संस्था की नीतियों का निर्धारण करना तथा वार्षिक आय-व्यय का अनुमोदन करना।

(सचिव तथा कम से कम तीन अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर)

पृष्ठ सं0 05/09


(Handwritten signatures and marks)

(ख) प्रबन्धकारिणी समिति:-

- (अ) गठन :- साधारण सभा द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव किया जायेगा। इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तथा तीन.....सदस्य होंगे।
- (ब) बैठक :- सामान्य बैठक वर्ष मेंछःबार तथा विशेष बैठक आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बुलाई जा सकती है।
- (स) सूचना अवधि :- सामान्य बैठक हेतु.....पाँचदिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा तथा विशेष बैठक हेतुदो.....दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।
- (ग) गणपूर्ति :-बैठक की गणपूर्ति हेतु2/3.....पदाधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक होगी।
- (घ) रिक्त स्थानों की पूर्ति:-.....समस्त कार्यकारिणी के.....पदाधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक होगी। साधारण सभा के सदस्यों में रिक्त हुये स्थानों पूर्ति कर सकेगी।
- (र) प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य एवं अधिकार :- (1) संस्था के सभी कार्यक्रमों क्रियान्वयन करना वित्तीय व्यवस्था को देखना। संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वार्षिक बजट बनाना साधारण सभा में बजट पास करवाना, योजनायें तैयार करना, कार्यकर्ताओं कि नियुक्ति व मुक्ति, दान-अनुदान स्वीकार करना।
- (2) संस्था के हितों की रक्षा करेंगे
- (3) बहुमत से सविधान संशोधन करेंगे
- (ल) कार्यकाल :- प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकालएकवर्ष होगा। प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य
- (क) अध्यक्ष :- प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना, संस्था की चल/अचल सम्पत्ति की देखभाल करना, संस्था के हितार्थ कार्य जो आम सभा से स्वीकृत हो करवाना आदि।
- (ख) उपाध्यक्ष:- :-अध्यक्ष की अनुपस्थिति में क्रमानुसार उसके सभी कार्य देखना।
- (ग) सचिव/ :-कार्यकारिणी समिति की बैठकों की कार्यवाही लिखना, अगामी बैठक में पिछली कार्यवाही की पुष्टि करवाना, वार्षिक बजट बनाना, संस्था के आय-व्यय सम्बन्धी समस्त प्रपत्र तैयार करवाना, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सी.ए.) से आडिट करवाना, आडिट रिपोर्ट प्रबन्धकारिणी के समक्ष पेश करना, संस्था की ओर से पत्राचार करना, कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत नियमों के अधीन कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना तथा संस्था के हितार्थ ऐसे समस्त कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों के विरुद्ध न हो। संस्था की ओर से तमाम अनुबन्ध पत्रों पर कोषाध्यक्ष के साथ मिलकर हस्ताक्षर करना।

(सचिव तथा कम से कम तीन अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर)

पृष्ठ सं 06/09





सत्य प्रतिलिपि

उपनिबन्धक
फर्म्स, सोसाइटी एवं चिट्ठस
हरिद्वार, 11/11/15

(ड) कोषाध्यक्ष:- संस्था के कोष का रखरखाव तथा खाते का संचालन करना।

बैंक में खाते का संचालन :- अध्यक्ष या सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।

(च) सदस्य :- प्रबन्धकारिणी में..... तीनसदस्य होंगे जो कोरम की पूर्ति करेंगे व पदाधिकारियों को संस्था के कार्यों में सहयोग करेंगे।

(अ) संस्था के हितों की रक्षा करेंगे।

(ब) अध्यक्ष व सचिव द्वारा दिये कार्यों को करेंगे।

(स) समस्त सदस्य मिलकर बहुमत से संविधान संशोधन करेंगे।

6. संस्था के नियम/विनियमों में संशोधन की प्रक्रिया :- संस्था के विधान में परिवर्तन, करने हेतु प्रबन्धकारिणी

समिति में विधान परिवर्तन का प्रस्ताव पारित करके तथा उसे साधारण सभा द्वारा अनुमोदित कराकर सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 4ए तथा नियम 5के अनुसार संस्था में परिवर्तन की कार्यवाही के प्रस्ताव की प्रति के साथ 30 दिन के अन्दर ही उन्हें पंजीकरण करने के अनुरोध के साथ निबन्धक कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। नियमों में परिवर्तन की स्थिति में संस्था की संशोधित नियमावली प्रस्तुत की जायेगी। कार्यालय द्वारा उक्त परिवर्तन के पंजीकरण किस से जाने की सूचना जारी किये जाने पर ही परिवर्तन मान्य होंगे।

7. संस्था का कोष लेखा व्यवस्था :- संस्था का कोष किसी बैंक अथवा डाकघर में रखा जायेगा। खाते से धन का आहरण अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/कोषाध्यक्ष /सचिव अथवा प्रबन्धकारिणी द्वारा नामित व्यक्तियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जा सकेगा।

8. प्रबन्धकारिणी समिति की वार्षिक सूची तथा संतुलन पत्र :- प्रत्येक वर्ष प्रबन्धकारिणी समिति की सूची तथा आय-व्यय लेखे व संतुलन पत्र नियमानुसार उप निबन्धक कार्यालय में जमा किया जायेगा।

9. संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण/आडिट:- आय-व्यय का लेखा परीक्षण नियमानुसार किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सी.ए.) से करवाया जायेगा।

10. संस्था द्वारा अथवा संस्था के विरुद्ध सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की धारा-6 के अनुसार अदालती कार्यवाही से संचालन का उत्तरदायित्व संस्था के.....अध्यक्षका होगा।

11. संस्था के अभिलेख :-

(क) सदस्यता रजिस्टर ।

(ख) कार्यवाही रजिस्टर।

(ग) स्टाक रजिस्टर।

(घ) कैश बुक

(ङ) रसीद बुक

(च) ऐजेण्डा रजिस्टर आदि।

12. संस्था के विघटन और विघटन सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 13 व धारा 14 में दिये प्रावधानों के अन्तर्गत की जायेगी।

(सचिव तथा कम से कम तीन अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर)

दिनांक 25.07.2014

सत्य प्रतिलिपि

उपनिबन्धक
फर्स, सोसाइटी एवं चिट्स

हरिद्वार
25/7/14

पृष्ठ सं 07/09

प्रस्ताव की सत्यप्रतिलिपि

आज दिनांक 18.07.2014 को निकट वाटरटैंक पाण्डेवालान ,गुग्गल रोड ज्वालापुर हरिद्वार 249407 स्थान, में अधोहस्ताक्षरित व्यक्तियों ने शिवशक्ति सेवा समिति संस्था का नाम नामक समिति के गठन का संकल्प (Resole) निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया:-

1. गरीबों के हित में समस्त कार्य करना।
2. हर प्रकार की सामाजिक सेवा करना।
3. हर प्रकार की मदद की कार्यवाही करना।
4. पुराने खण्डित बुतों व मन्दिरों का उद्धार व रख रखाव करना।
5. स्वास्थ्य व पर्यावरण सम्बन्धी जन जागरण करना।
6. हर प्रकार के चिकित्सा कैंप लगाना जनहित में, व अस्पताल चलाना जहाँ समस्त आपरेशन व उपचार की सुविधाये प्राप्त हो।

शेष स्मृति पत्र के अनुसार

उक्त बैठक की अध्यक्षता सुकराम द्वारा की गयी है।



सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया गया कि उपरोक्त संस्था का सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत, उप निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स कार्यालय हरिद्वार में पंजीकरण कराया जाय।

सत्य प्रतिलिपि

उपनिबन्धक

क्र०सं०	नाम तथा पिता/पति का नाम	पता	फर्म्स, सोसाइटी एवं चिट्स कार्यालय हरिद्वार
1.	सुकुम राणा पुत्र श्री तेजपाल सिंह	ए० 97 शिवालिक नगर हरिद्वार	25/7/14
2.	देवेन्द्र शर्मा पुत्र श्री रामकुमार शर्मा	पाण्डेवालान गुग्गल रोड हरिद्वार	
3.	हितेश पुत्र श्री रनपत सिंह	आर० 155 शिवालिक नगर हरिद्वार	
4.	विकाश सिंह धीमान पुत्र श्री आत्माराम धीमान	जगदीपपुर कनखल हरिद्वार	
5.	अजय शर्मा पुत्र श्री के०एस० निर्भय	1/69 ए अरावली अपार्टमेन्ट सेक्टर 52नोएडा	
6.	संजय सिंह पुत्र श्री शंकर सिंह	क्वार्टर न० 197 शिवालिक नगर हरिद्वार	
7.	अभिषेक सैनी पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार	1044 शिवशक्ति विहार निकट सतीकुंज कनखल हरिद्वार	